an>

Title: Statement regarding issue of Civil Services Examination conducted by UPSC.

HON. CHAIRPERSON : Now, hon. Minister Dr. Jitendra Singh will make a statement.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर विवाद बड़े लम्बे समय से चला आ रहा है। इस सभा में भी यह विषय बार-बार उठता रहा है। सरकार ने बड़ी गंभीरता और बड़े धीरज के साथ इस विषय का अध्ययन किया है। बड़ी संवेदनशीलता के साथ सभी भिन्न-भिन्न पक्षों को सुनने का प्रयास भी किया है और विद्यार्थियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार का यह मत है कि सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न पत्र संख्या दो में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न भाग के अंकों को मेरिट अथवा ग्रेडेशन में सम्मिलित करने का कोई औचित्य नहीं है।

Government is of the opinion that in the Civil Services Preliminary Examination Paper II, the marks of the question-section on "English Language comprehension skills" should not be included for gradation or merit.

सरकार का यह भी मत है कि सिविल सेवा परीक्षा, 2011 ईसवी के उम्मीदवारों को वर्ष 2015 की परीक्षा में बैठने का एक और अवसर दिया जाना चाहिए।

Candidates who appeared in Civil Services Examination 2011, should be given one more attempt in 2015.

HON. CHAIRPERSON : Now we will take up 'Zero Hour'.